

माननीय न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और आलोक सिंह के समक्ष

राज्य परामर्श सोसायटी - याचिकाकर्ता

बनाम

मुख्य आयुक्त, आयकर,

पंचकूला- 2009 का प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपी नंबर 2009 का 8349

26 मई, 2010

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226-1 आगामी कर अधिनियम, 1961 - धारा 10 (23सी) (iv) - तकनीकी संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और सरल बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक सोसाइटी की स्थापना - टॉपर्स, गरीब और जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने वाली सोसायटी - धारा 10 (23 सी) (iv) के तहत छूट देने के लिए आवेदन - वाणिज्यिक गतिविधियों के आधार पर अनुमति नहीं दी गई - इसे चुनौती - न तो राज्य सरकार और न ही किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल सोसायटी - केवल इसलिए कि समाज ने कुछ लाभ अर्जित किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि समाज अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर रहा है जिसके लिए इसे स्थापित किया गया था - केवल इसलिए कि समाज ने कुछ लाभ अर्जित किया है, समाज को छूट के लिए वंचित नहीं करता है - मुख्य आयुक्त द्वारा पारित आदेश छूट देने के लिए सोसायटी के आवेदन को अस्वीकार करना टिकाऊ नहीं है - याचिका की अनुमति दी गई।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता-सोसायटी हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित की गई है, न तो हरियाणा सरकार और न ही याचिकाकर्ता-समाज किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में लिप्त है और केवल इसलिए कि सोसाइटी ने कुछ लाभ जमा किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि याचिकाकर्ता समाज अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर रहा है जिसके लिए

इसे स्थापित किया गया था। केवल इसलिए कि समाज ने कुछ लाभ अर्जित किया है, समाज को छूट के लिए अयोग्य नहीं बनाता है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्य आयुक्त, आयकर, पंचकुला द्वारा पारित दिनांक 18 फरवरी, 2009 के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

(पैरा 9)

याचिकाकर्ता की ओर से सुश्री मनीषा गांधी, अधिवक्ता।

एस. के. गर्ग नरवाना, वकील, प्रतिवादी के लिए,

माननीय न्यायमूर्ति आलोक सिंह

1. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर एक रिट याचिका है, जिसमें मुख्य आयुक्त, आयकर, पंचकुला द्वारा पारित 18 मार्च, 2009 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23) (iv) के तहत छूट देने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।
2. [वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता-सोसायटी की स्थापना हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य में स्थित विश्वविद्यालय विभागों, सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त / निजी संस्थानों में तकनीकी संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया को सुविधाजनक और सरल बनाने के लिए की गई थी। याचिकाकर्ता-सोसायटी एक स्व-वित्तपोषित सोसायटी है जो हरियाणा राज्य में स्थित विश्वविद्यालय विभागों, सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त / निजी संस्थानों में सभी तकनीकी संस्थानों में स्नातकोत्तर, स्नातक और डिप्लोमा शिक्षा सहित सभी तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पूरी प्रवेश प्रक्रिया का संचालन करती है। याचिकाकर्ता-समाज पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए हर संस्थान में हर पाठ्यक्रम की प्रत्येक शाखा के टॉपर छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है। याचिकाकर्ता-समाज सामान्य या आरक्षित श्रेणी के गरीब और जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है। पूरी धनराशि का उपयोग तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रों के लिए किया जाता है। सोसाइटी ने एक टोल फ्री कॉल सेंटर भी स्थापित किया है जहां छात्र किसी भी प्रश्न या जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं।

3. याचिकाकर्ता-सोसायटी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 सी) (iv) के तहत छूट देने के लिए आवेदन किया। मुख्य आयुक्त, आयकर, पंचकूला ने वाणिज्यिक गतिविधियों के आधार पर सोसायटी के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है। मुख्य आयुक्त, आयकर, पंचकूला, के दिनांक 18 मार्च, 2009 के आदेश को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा रही है।
4. हमने याचिकाकर्ता के वकील को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।
5. मुख्य आयुक्त, आयकर, पंचकूला ने आदेश के पैरा 13 और 15 में निम्नानुसार कहा है -

" 13. धर्मार्थ प्रयोजन की परिभाषा में उपर्युक्त संशोधन से यह देखा गया है कि 1 अप्रैल, 2009 से अर्थात् आकलन वर्ष 2009-10 से सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की किसी अन्य वस्तु को धर्मार्थ प्रयोजन के रूप में उन्नत करने के शब्द के दायरे को व्यापार की प्रकृति की किसी भी गतिविधि को इसके दायरे से बाहर करके काफी हद तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। वाणिज्य या व्यवसाय या किसी भी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में उपकर या शुल्क या किसी अन्य विचार के लिए कोई सेवा प्रदान करने की कोई गतिविधि, उपयोग या आवेदन की प्रकृति या ऐसी गतिविधि से आय को बनाए रखने के बावजूद।

15. वित्तीय वर्ष 2007-08 अर्थात् 2007-08 अर्थात् आकलन वर्ष 2008-09 के लिए मूल्यांकन आवेदक की आय एवं व्यय राशि के अवलोकन से पता चलता है कि इस वर्ष के दौरान आवेदक सोसायटी ने पंजीकरण शुल्क/परामर्श शुल्क से 12, 42, 47, 115 रुपये तथा स्लाइडिंग शुल्क (द्वितीय/परवर्ती परामर्श के लिए) 3,05,26,500 रुपये से आय अर्जित की है। इसके अलावा। आवेदक सोसायटी ने इस वर्ष के दौरान 1,38,36,099 रुपये का बैंक ब्याज भी अर्जित किया है, इसकी आय और व्यय खाता सकल आय को 16,86,09,722 रुपये दर्शाता है, आवेदक समिति ने 10,000 करोड़ रुपये का अधिशेष दिखाया है। 6, 12,

82, 168. इस प्रकार अपनी गतिविधियों के पहले ही वर्ष में, आवेदक सोसायटी ने 10,000 करोड़ रुपये का भारी अधिशेष/लाभ अर्जित किया था। 6,00,000 करोड़ रुपये की सकल आय पर 6,12,82,168 (36.34%) 16,86, 09, 722. इसकी प्रस्तुतियों से कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है कि कैसे और क्यों इसने इतना बड़ा अधिशेष लाभ अर्जित किया है यदि इसका उद्देश्य और गतिविधियां वास्तव में धर्मार्थ हैं। इसकी बैलेंस शीट में पंजाब नेशनल बैंक, सेक्टर -17 सी, चंडीगढ़ के पास 5, 87, 05, 000 रुपये की राशि, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडल के साथ 7,00,00,000 रुपये की एफडीआर है। क्षेत्र, चरण -1, चंडीगढ़ और इसने ऊपर उल्लिखित आय और व्यय खाते के अनुसार 1, 38, 36, 099 रुपये का बैंक ब्याज अर्जित किया है। यह अपनी सेवा और गतिविधियों के लिए शुल्क भी ले रहा है, जैसा कि ऊपर दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है, लाभ का एक बड़ा मार्जिन उत्पन्न किया है और इसलिए, इसकी गतिविधियां हैं। जैसा कि 10 लाभ के उद्देश्य से वाणिज्यिक है और इसे धर्मार्थ नहीं माना जा सकता है। केवल इसलिए कि सोसायटी में हरियाणा सरकार/विश्वविद्यालय के पदेन सदस्य हैं और उसे हरियाणा सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, वह छूट का दावा करने का हकदार नहीं हो सकता है। इस बात पर विचार करने के लिए कि क्या किसी संस्था के उद्देश्य धर्मार्थ हैं, इसकी गतिविधियों की वास्तविक प्रकृति को देखा जाना चाहिए, जैसा कि ऊपर विस्तार से चर्चा की गई है, संक्षेप में, लाभ के उद्देश्य के साथ वाणिज्यिक प्रकृति के हैं।"

6. इसमें कोई विवाद नहीं है कि तकनीकी संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया को सुविधाजनक और सरल बनाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा याचिकाकर्ता-सोसायटी की स्थापना की गई है। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता-समाज पाठ्यक्रम के लिए सामान्य/आरक्षित श्रेणी के छात्रों को छात्रवृत्ति दे रहा है।

7. अमेरिकन होटल एंड लॉजिंग एसोसिएशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और अन्य¹ के पैरा 38, 44 और 51 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है: -

38. प्राप्तकर्ता के चरित्र को तय करने में प्रत्येक वर्ष के लाभ को देखना आवश्यक नहीं है; लेकिन भारत में की जाने वाली गतिविधियों की प्रकृति पर विचार करना। यदि भारतीय गतिविधि का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, तो छूट से इनकार किया जाना चाहिए (ऑक्सफोर्ड में इस न्यायालय का निर्णय देखें (यूनिवर्सिटी प्रेस [सुप्रा])। इसलिए, आय प्राप्त करने वाले के चरित्र में भारत में शैक्षिक संस्थान का चरित्र होना चाहिए ताकि गतिविधियों की प्रकृति से पता लगाया जा सके। यदि व्यय को पूरा करने के बाद, अधिशेष शैक्षिक संस्थान द्वारा की जाने वाली गतिविधि से संयोग से रहता है, तो यह केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मौजूद नहीं रहेगा। दूसरे शब्दों में, गतिविधि से अधिशेष के अस्तित्व का मतलब शैक्षिक उद्देश्य की अनुपस्थिति नहीं होगा (आदियानार शैक्षिक संस्थान बनाम एसीआईटी, (1997) 224 आईटीआर 310 में इस न्यायालय का निर्णय देखें)। परीक्षण है- गतिविधि की प्रकृति। यदि प्रिंटिंग प्रेस चलाने जैसी गतिविधि होती है तो यह शैक्षिक नहीं है। लेकिन क्या आय/लाभ को गैर-शैक्षिक उद्देश्य के लिए लागू किया गया है, यह वित्तीय वर्ष के अंत में ही तय किया जाना है।

44. धारा 10(23सी)(vi) के प्रावधानों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि शर्तों के निर्धारण और उनके अनुपालन के बीच अंतर है। प्रारंभिक शर्तें एक शैक्षणिक संस्थान का वास्तविक अस्तित्व और प्रत्येक के लिए निर्धारित प्राधिकारी की मंजूरी हैं आवेदक को पहले परंतुक के अनुसार मानकीकृत प्रपत्र में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि शैक्षणिक संस्थान के वास्तविक अस्तित्व की पूर्व-अपेक्षित शर्त पूरी हो जाती है तो ही परंतुक में आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रश्न उठेगा। हम अपीलकर्ता की ओर से दिए गए तर्क में योग्यता पाते हैं कि तीसरे प्रावधान में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों में आय के आवेदन, संचय, विकास जैसी

¹ (2008) 10 एस.सी.सी. 509

निगरानी की शर्तों / आवश्यकताएं शामिल हैं , जिनका अनुपालन उन घटनाओं पर निर्भर करता है जो प्रारंभिक अनुमोदन की तारीख पर नहीं हुई हैं।

51. स्पष्टता के लिए, हम यह दोहरा सकते हैं कि तीसरे परंतुक में खंड (ए) और (बी) में उल्लिखित निर्दिष्ट परिसंपत्तियों में आय का आवेदन या आय का संचय या निवेश जैसी मदें अनुपालन / निगरानी शर्तों से अलग हैं। जैसा कि कहा गया है, हालांकि; आय के आवेदन/उपयोग और भारत से बाहर आय के बाहर भेजे जाने के बीच अंतर है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, 1961 अधिनियम की धारा 10 (23सी) (vi) में परंतुक को शामिल करने के साथ, अनुमोदन प्रदान करते समय पीए के लिए यह निर्धारित करना खुला है कि अनुमोदन भारत में शिक्षा प्रदान करने के लिए लेखांकन अर्थ ों में आय के कुछ प्रतिशत के उपयोग/आवेदन के अधीन दिया जा रहा है। इस तरह की कवायद अनुमान पर आधारित होगी। लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच अंतर है। क्यूएफ सेक्शन 10 के चरण में, हम लेखा आय से संबंधित हैं। इसलिए, पीए के लिए, यदि वह उचित समझे, यह निर्धारित करने के लिए खुला है कि लेखांकन आय का कुछ प्रतिशत भारत में शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाएगा। इसलिए, हमारे विचार में, पीए के लिए ऐसे नियम और शर्तों को लागू करना हमेशा खुला है जो वह उचित समझता है। हमने जो व्याख्या की है वह वित्त अधिनियम, 1998 द्वारा धारा 10 (23 सी) (vi) में शामिल परंतुक के सामंजस्यपूर्ण निर्माण पर आधारित है। अंत में, हम दोहरा सकते हैं कि पीए द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों की शर्त के बीच अंतर है, जैसा कि यह परंतुक के तहत उपयुक्त समझता है, और अपीलकर्ता द्वारा उन शर्तों का अनुपालन। पीए द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का अनुपालन मूल्यांकन के समय निर्णय का विषय होगा क्योंकि छूट की उपलब्धता का मूल्यांकन हर साल किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या संस्थान संबंधित वर्ष के दौरान केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए अस्तित्व में था और लाभ के लिए नहीं।

8. डेरा बाबा जोध सचियार बनाम भारत संघ और एक अन्य (2006 के सीडब्ल्यूपी सं 68 पर 22 फरवरी, 2010 को दिए गए निर्णय) के मामले में हमने अमेरिकन होटल एंड लॉजिंग एसोसिएशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और अन्य ² मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करने के बाद निम्नानुसार निर्णय दिया है:.....

"आदेश का अवलोकन करने के बाद, हम पाते हैं कि विद्वान आयुक्त ने इस सवाल पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है, कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त आय का उपयोग धर्मार्थ उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, ट्रस्ट के उद्देश्य के अनुसार। विद्वान आयुक्त ने केवल आय के स्रोत के आधार पर छूट का नवीनीकरण देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा ऊपर उद्धृत निर्णयों के अवलोकन से, हमारा विचार है कि यह आय का स्रोत नहीं है जो देखा जा सकता है, लेकिन आय का निवेश। यदि ट्रस्ट/सोसायटी के उद्देश्य के अनुसार आय का उपयोग धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, तो आमतौर पर छूट से इनकार नहीं किया जा सकता है।

9. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता-सोसायटी हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित की गई है, न तो हरियाणा सरकार और न ही याचिकाकर्ता-समाज किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में लिप्त है और केवल क्योंकि सोसाइटी ने कुछ लाभ जमा किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि याचिकाकर्ता समाज अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर रहा है जिसके लिए इसे स्थापित किया गया था। केवल इसलिए कि समाज ने कुछ लाभ अर्जित किया है, समाज को छूट के लिए अयोग्य नहीं बनाता है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्य आयुक्त, आयकर, पंचकूला द्वारा पारित दिनांक 18 मार्च, 2009 के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

10. रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है। मुख्य आयुक्त, आयकर, पंचकूला द्वारा पारित दिनांक 18 मार्च, 2009 के आदेश को निरस्त

² 2008) 7 डीटीआर (एससी) 183

किया जाता है। मुख्य आयुक्त, आयकर, पंचकूला को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने के भीतर उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में याचिकाकर्ता-सोसायटी के आवेदन पर निर्णय लें।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा । विश्वास खटक, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) रेवाड़ी, हरियाणा ।